रसोई गैस पर सबसिडी के दुरुपयोग से २५ अरब सालाना का नुकसान

जनसत्ता

नई दिल्ली, ३० जनवरी (वार्ता)। सरकार रसोई गैस में जो सबसिडी दे रही है उसका वाणिज्यिक क्षेत्र में धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है. जिससे सरकार को २५०० करोड़ रुपए सालाना की चपत लग रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तेल समन्वय समिति की ओर से रखे गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक समिति तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग वर्ष १९९२-९३ में ६.६ फीसदी था जो कि १९९७-९८ में घटकर ५.५ फीसदी रह गया। रपट में रसोई गैस के वाणिज्यिक उपयोग से २५०० करोड़ रुपए की सबसिडी का दुरुपयोग होने की बात कही गई है।

दूसरी ओर इसी अवधि में एलपीजी का घरेलू उपयोग दुगुना होकर २६१४ हजार मीट्रिक टन से बढ़कर ४३२९ हजार मीट्रिक टन हो गया। एलपीजी सिलेंडरों की समानांतर विपणन सेवा चलाने वाले उद्यमियों के संगठन एसोसिएशन और पैरलल एलपीजी मार्केटियर्स एंड कंज्यूमर्स के अध्यक्ष बीडी धमीजा ने आरोप लगाया है कि एलपीजी सिलेंडरों का धंधा करने वाले छोटे- छोटे दुकानदारों और डीलरों के जरिए करीब २५०० करोड़ रुपए की सबसिडी का व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है।

धमीजा का कहना है कि सक्रिय जांच पड़ताल और निगरानी के जरिए सरकारी पैसे के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है और साथ ही सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी का रास्ता भी खुल सकता है। धमीजा का कहना है कि दिल्ली में २३९ प्रमुख कालोनियां हैं और इन प्रमुख कालोनियों के चारों तरफ अनधिकृत तौर पर सैकड़ों कालोनियां बसी हुई हैं, जिनमें चाय के स्टालों, हलवाई और छोटे- छोटे रेस्तरां वाले प्रति दिन औसतन दो घरेलू रसोई सिलेंडरों का उपयोग करते हैं।

तेल समन्वय समिति की रपट में कहा गया है कि अकेले दिल्ली में ही २१३ करोड़ ३६ लाख रुपए की गैस सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा है जो की राज्य को मिलने वाली ३३९ करोड़ रुपए की कुल सबसिडी का ६१ फीसदी बैठता है। मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक वर्ष १९९९- २००० में प्रति गैस सिलेंडर १२४ रुपए की सबसिडी के हिसाब से सरकार इस क्षेत्र में कुल ४७७० करोड़ रुपए की सालाना सबसिडी देती है।

धमीजा का कहना है कि सबसिडी का दुरुपयोग छोटे छोटे सिलेंडरों में भी किया जाता है और इन सिलेंडरों की अवैध बिक्री से सरकार को कर चोरी के रूप में राजस्व का नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि अभी तक छोटे सिलेंडरों में गैस सप्लाई के लिए कोई भी अधिकृत स्रोत सरकारी तौर पर उपलब्ध नहीं है जिसका सीधा सा मतलब लगाया जा सकता है कि इन छोटे सिलेंडरों में रसोई गैस के सिलेंडरों से ही गैस भरी जाती है।

एसोसिएशन ने सरकार को सुझाव दिया है कि सबसिडी के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार को एलपीजी पर सबसिडी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए और जोखिम वाले हल्की क्वालिटी के सिलेंडर बेचने व बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।